विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 6 जून, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–7/2025–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) को दिनांक 02–06–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 34 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

2025 का अधिनियम संख्यांक 34.

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. अनुसूची 1–क का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

2025 का अधिनियम संख्यांक 34.

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 2 जून, 2025 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 18 फरवरी, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **अनुसूची 1–क का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में,–

(क) अनुच्छेद 23 के परंतुक के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन सम्पत्ति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां स्टाम्प शुल्क, लिंग का विचार किए बिना, बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन, तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।'';

(ख) अनुच्छेद 35 में,–

(i) खंड (क) के परंतुक के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन अनुमति के ऐसे मामलों में पट्टे विलेख पर स्टाम्प शुल्क के परिकलन हेतु फार्मूला :–

बारह प्रतिशत × बाजार मूल्य × (पट्टे की अवधि)/100''; और

(ii) खंड (ख) के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की सम्पूर्ण रकम जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त करनी हो, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी", न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।''।

3. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

––––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 34 of 2025.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Schedule 1-A.
3. Repeal and Savings.

Act No. 34 of 2025.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 2ND JUNE, 2025)

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 18th day of February, 2025.

2. Amendment of Schedule 1-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh, in the Schedule 1-A,—

(a) in article 23, in the proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that where permission for conveyance of property is granted by the State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the Stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value or the consideration amount, whichever is higher, irrespective of gender, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.";

(b) in article 35,—

(i) in clause (a), at the end, for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.

Formula for calculating stamp duty on lease deeds in such cases of permission under section 118(2) (h) of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972:—
12% x market value x (period of lease)/100"; and

(ii) in clause (b), at the end for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.".

3. Repeal and savings.—(1) The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Odinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

———————